

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)**

**कार्यालय आदेश**

श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी संवर्गों के अराजपत्रित कर्मियों (श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहित) को ACP/MACP का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक-237 दिनांक-15.01.2026 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- |        |                                                                             |   |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (i)    | श्रमायुक्त, बिहार                                                           | — | अध्यक्ष |
| (ii)   | श्री विजय कुमार,<br>अपर श्रमायुक्त, बिहार।                                  | — | सदस्य   |
| (iii)  | श्री राजेश कुमार,<br>संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।                             | — | सदस्य   |
| (iv)   | श्री आफताब आलम,<br>उप श्रमायुक्त, मुंगेर<br>(अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि)। | — | सदस्य   |
| (v)    | श्रीमती नेहा आर्या,<br>सहायक श्रमायुक्त (शोध)।                              | — | सदस्य   |
| (vi)   | श्री शशि शेखर,<br>सहायक श्रमायुक्त-सह-श्रम अधीक्षक (प्रवासी)।               | — | सदस्य   |
| (vii)  | सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि<br>के रूप में मनोनित पदाधिकारी।          | — | सदस्य   |
| (viii) | विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार<br>(वित्त विभागीय प्रतिनिधि)।                | — | सदस्य   |

ह0/-  
(राजेश भारती)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/बी0एस0सी0ई01-59/2016 श्र0सं0- 5896 पटना, दिनांक- 29/9/26

प्रतिलिपि:- अपर श्रमायुक्त, बिहार/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/उप श्रमायुक्त (मु0)/  
उप श्रमायुक्त, मुंगेर/सहायक श्रमायुक्त (शोध)/सहायक श्रमायुक्त-सह-श्रम  
अधीक्षक (प्रवासी)/सभी अवर सचिव (श्रम पक्ष)/श्रमायुक्त के सचिव/विभागीय  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- ✓ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 29/9/26  
श्रमायुक्त, बिहार।